न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा राज.

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः—राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 57/2017 वाद पत्र

उनवान

1—मगना पिता माना जाति कुम्हार निवासी गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

वादी

बनाम

1—मांगू पिता घीसा जाति जाट निवासी गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

2—जैसु पिता कालू जाति बैरवा निवासी गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

3—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

जाकिर हुसैन— **अधिवक्ता वादी**

निर्णय

दिनांक 22.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट खेमाणा में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गल्यावडी पटवार हल्का खेमाणा के बैरून हल्का आबादी मे वादी के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 267 में अंकित कृषि आराजी संख्या 1765 रकबा 0.86 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.86 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण मे वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस वादपत्र साथ प्रस्तुत है। वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित कृषि आराजियात वादी के स्वामित्व की है परंतु प्रतिवादीगण आए दिन वादी की भूमि पर नाजायज दखलंदाजी करते रहते हैं, दिनांक 30.07.2016 को प्रतिवादीगण ने वादी की आराजियात की थोहर की बाड को गिरा दिया तथा वादी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इस पर वादी ने प्रतिवादीगण को ओलंबा दिया व वादी की भूमि पर कब्जा नहीं करने की बात कही तो प्रतिवादीगण ने कहा कि ये जमीन हमारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की वादग्रस्त भूमि पर अवैद्य कब्जा करने पर वादी ने अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाई जिस पर पत्थरगढी निर्णय दिनांक 05.10.2016 की पालना में वादी की उक्त भूमि की दिनांक 13.05.2017 को पत्थरगढी की जाकर मौका पर्चा तैयार किया गया। जिसमें प्रतिवादी संख्या एक का वादग्रस्त भूमि पर 0.07 है0 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 0.30 है0 पर अवैद्य कब्जा पाया गया। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का अवैद्य कब्जा पाए जाने पर वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि से अवैद्य कब्जा हटाने बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गए।जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली की डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हो गया है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण आए दिन दखंलदाजी करते रहते हैं व वादी की फसल को नुकशान पहुंचाते रहते हैं। जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वय करें न किसी अन्य से करावें। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक 30.07.2016 को वादी की भूमि पर अवैद्य कब्जा करने व उसके पश्चात दिनांक 13.05.2016 को

पत्थरगढी कराने पर प्रतिवादीगण का अवैद्य कब्जा वादी की भूमि पर पाए जाने व प्रतिवादीगण द्वारा अवैद्य कब्जा हटाने से मना कर देने से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 06.09.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में भी नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या एक एवं दो बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एकतरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी संख्या 2070–2073 के खाता संख्या 267 में वादग्रस्त भूमि वादी मगना पिता माना कुम्हार के नाम खातेदारी हक से अंकित हैं। इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 112/2016 में दिनांक 05.10.2016 को पत्थरगढी की गई उसका पर्चा मौका अनुसार आराजी संख्या 1765 क्षेत्रफल 0.86 हैक्टे. में से 0.07 हैक्टे. मांगू पिता घीसा जाट एवं 0.30 हैक्टे. पर जैसु पिता कालू बैरवा का नाजायज कब्जा होना पाया गया इसलिये वाद अनुसार ग्राम गल्यावडी पटवार हल्का खेमाणा के खाता संख्या 267 में अंकित कृषि आराजी संख्या 1765 रकबा 0.86 है0 में से प्रतिवादी संख्या एक का 0.07 है0 व प्रतिवादी संख्या दो का 0.30 है0 से अवैद्य कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

ग्राम गल्यावडी पटवार हल्का खेमाणा के खाता संख्या 267 में अंकित कृषि आराजी संख्या 1765 रकबा 0.86 है0 में से प्रतिवादी संख्या एक का 0.07 है0 व प्रतिवादी संख्या दो का 0.30 है0 से अवैद्य कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा